कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2009–10 / दिनांकः–

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर ।

विषयः– तह0 डीडवाना, जिला– नागौर के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत्।

प्रसंग– राजस्व ग्रुप–1 विभाग,जयपुर का पत्र क्रमांक प.13(4)राज–1 / 2008 दिनांक 05.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तह0 डीडवाना, जिला– नागौर के 5 ग्रामों की बन्द की अधिसूचना दिनांक 05.11.20019 अन्तर्गत धारा– 106, 107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है, जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भिजवाने का श्रम करावें ।

संलग्नः– उपोक्तानुसार

ह0
अति0 भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 2173 दिनांकः– 19-11-2019

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी, आई0टी0शाखा मुख्य कार्यालय,जयपुर को अधिसूचना की छाया प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

अति0 भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

R.R.
3
11-11-19

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1 / 2008 जयपुर, दिनांक 05-11-19

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना जिला नागौर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण / तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज. / ग्रुप–1 / 2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 177 ग्रामों में सर्वेक्षण / तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जाकर पुनः सर्वेक्षण / तरमीम कार्य को अधिसूचना दिनांक 17.06.2016, 21.02.2017, 04.09.2017, 13.06.2018, 25.09.2018, 10.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019, 17.06.2019 एवं 03.09.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से **05 ग्राम यथा खारडा, धनकोली, ज्यानकीपुरा, शेरानी आबाद एवं कोनीयाडा** में पुनः सर्वेक्षण / तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 05 ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण / तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 2 / 3 / 2009–10 / 1134 दिनांक 08.07.2019 के कम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/243
11/11/19

भू-प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
11 NOV 2019
क्रमांक 677

R.R.
3
11-11-19

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1/2008 जयपुर, दिनांक 05-11-19

–: अधिसूचना :–

राजस्थान (भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना जिला नागौर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 177 ग्राम अधिसूचना दिनांक 17.06.2016, 21.02.2017, 04.09.2017, 13.06. 2018, 25.09.2018 10.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019, 17.06.2019 एवं 03.09.2019 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से **05 ग्राम यथा खारडा, धनकोली, ज्यानकीपुरा, शेरानी आबाद एवं कोनीयाडा** के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से उक्त 05 ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009–10/1134 दिनांक 08.07.2019 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

AR/244
5/11/19

पत्र–प्राप्ति
2019
क्रमांक 676